[15/3/2022]

प्रश्न सं. [क्र. 2346]

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011
दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्र./राशिके/एस.जी.यू/2022/908 भोपाल दिनांक 03-02-2022

प्रति,

जिला परियोजना समन्वयक
जिला शिक्षा केन्द्र
समस्त जिले म.प्र.।

विषय- शासकीय माध्यमिक शालाओं की बालिकाओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण 2022-23 के संबंध में।
संदर्भ-1.राज्य शिक्षा केन्द्र का पत्र क्र./राशिके/एस.जी.य/2022/8144 भोपाल दिनांक 20.12.2019 ।

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करना चाहे। आत्मरक्षा प्रशिक्षण छात्राओं में आत्मविश्वास में वृद्धि करता है अपितु विपरीत परिस्थितियों में स्वयं की रक्षा करने में समक्ष भी बनता है। इसी उद्देश्यसे समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत शासकीय माध्यमिक शालाओं में बालिकाओं की पढ़ाई के साथ-साथ आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिये जाने का प्रावधान वार्षिक कार्ययोजना 2021-22 में समस्त शासकीय माध्यमिक विद्यालयों की बालिकाओं के लिए प्रशिक्षणकी स्वीकृति प्रदान की गई है।
अतः उपयुक्त स्वीकृति के अनुक्रम में निम्नानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

- ऐसी शासकीय माध्यमिक शालाओं को चिन्हांकित करें जहां बालिकाओं की दर्ज संख्या अधिक हो।
- यदि जिले में कन्या माध्यमिक शालाएं है तो उनका चयन अनिवार्य रूप से किया जाए।

1. प्रशिक्षक का चयन- प्रशिक्षक के रूप में सामान्यतः महिला प्रशिक्षक को चयनित किया जाए। यदि महिला प्रशिक्षक न मिलने की परिस्थिति में पुरूष प्रशिक्षक का चयन किया जा सकता है किन्तु प्रशिक्षण के समय एक महिला शिक्षिका की पूर्ण समय उपस्थिति अनिवार्य होगी। प्रशिक्षकों को शाला प्रबंधन समिति द्वारा एक माह(30 कार्य दिवस) के लिए चयनित किया जा सकेगा।
2. चयन की प्रक्रिया-जिला स्तर पर शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं के प्रशिक्षकों की एक सूची तैयार की जाएगी। इस हेतु प्रशिक्षक की सूची जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय की खेल शाखा एवं जिले के खेल विभाग कार्यालय तथा स्कूल शिक्षा विभाग के खेल अधिकारी(स्पोर्टस ऑफिसर) से भी संपर्क कर सूची प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त जिले में नियुक्त म.प्र. कराटे एसोसिएशन से भी सूची प्राप्त की जा सकती है।
3. प्रशिक्षक की योग्यता-प्रशिक्षक सेल्फ डिफेंस सर्टिफिकेशन कोर्स ब्लेक बेल्ट इत्यादि योग्यताधारी होना चाहिए। योग्यता के संबंध में कोई समस्या होनेपर श्री राजेन्द्र सिंह तोमर शा.उ.मा.वि.कन्या शिक्षा परिसर छिन्दवाडा को नोडल अधिकारी बनाया गया है, जो कराटे एसोसिएशन के पदाधिकारी भी है, उनका मोबाइल न.9425405172 से संपर्क किया जा सकता है।

(आर.के. त्रिवेदी)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

अधिकारी बनाया गया है तो जो कराटे एसोसिएशन के पदाधिकारी भी है, उनका मोबाइल न.9425405172 से संपर्क किया जा सकता है। प्रशिक्षकों की कमी होने अथवा उपलब्ध न होने की स्थिति में बालिकाओं की परीक्षा कराने इत्यादि हेतु उनसे संपर्क कर सकते है। नोडल अधिकारी के भ्रमण करने पर शासकीय नियमानुसार यात्रा भत्ता समग्र शिक्षा अभियान के मैनेजमैंट मद से संबंधित जिले द्वारा किया जाएगा।

9. **मॉनिटरिंग-** जिला स्तर से जिला परियोजना समन्वयक, सहायक जिला परियोजना समन्वयक, जेलर परियोजना समन्वयक जेंडर, विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक, प्रत्येक स्कूल में एक बार भ्रमण कर यह सुनिशिचत करेगे कि प्रशिक्षण समुचित रूप संचालित हो रहा है। उपरोक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

03/02/2022

(धनराजू एस.)
संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल

पृ.क्र./राशिके/एस.जी.यू/2022/909 **भोपाल दिनांक 03.02.2022**

प्रतिलिपि-

1. **प्रमुख सचिव,म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ।**
2. **कलेक्टर समस्त जिले की ओर सूचनार्थ।**
3. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत समस्त जिले म.प्र. की ओर सूचनार्थ।**
4. **समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण की ओर सूचनार्थ।**
5. **सहायक आयुक्त आदिवासी विकास की ओर सूचनार्थ।**
6. **श्री राजेन्द्र सिंह तोमर शा.उ.मा.विद्यालय कन्या परिसर छिन्दवाडा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।**

03/02/2022

संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल

(आर.के. त्रिवेदी)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र. ... विभाग

- जिला एवं विकासखण्ड के स्कूलों में पुलिस अधीक्षक कार्यालय से संपर्क कर योग्य प्रशिक्षित व्यक्ति की सेवाएं ली जा सकती है।
- विगत वर्षो में जिन प्रशिक्षकों का चयन किया गया था यदि उनका कार्य संतोषप्रद था तो उन्हें एक माह का अतिरिक्त कार्य सौंपा जा सकता है।
- प्रशिक्षकों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए एक प्रशिक्षक को एक से अधिक शालाओं का दायित्व भी सौंपा जा सकता है परंतु ध्यान रखा जाए कि प्रत्येक शाला में सप्ताह में 5 दिवस प्रशिक्षण कार्य अनिवार्य रूप से किया जा सकें।
- जिला स्तर पर विज्ञापन के माध्यम से तैयार सूची के प्रशिक्षकों को भी एक पत्र लिखकर शाला प्रबंधन समिति को आवेदन करने हेतु प्रेरित एवं सूचित किया जाएगा।
- प्रत्येक स्कूल के सूचना पटल पर ग्राम पंचायत एवं विकासखण्ड समन्वयक अधिकारी जनपद, एवं जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय में सूचना पत्र चस्पा किया जाएगा। इसमें इच्छुक अभ्यार्थी संबंधित शाला प्रबंधन समिति को 15 फरवरी 2022 तक आवेदन कर सकेगे।
- प्रशिक्षण का चयन शाला प्रबंधन समिति द्वारा किया जाएगा। समिति प्राप्त आवेदनों में से उपयुक्त प्रशिक्षण का चयन करेगी। चयन हेतु समिति की बैठक में जिला स्तर से DPC/APC जेण्डर विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में उपस्थित रहेगे ताकि बेहतर योग्यताधारी प्रशिक्षक का चयन हो सकें।

4. **प्रशिक्षण का संचालन-** प्रशिक्षण 20 फरवरी 2022 से 31 मार्च 2022 तक किया जाएगा। संबंधित स्कूल में प्रत्येक कक्षा की बालिकाओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण का एक पीरीयड रखा जाएगा।जिसमें प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। बालिकाएं जो इसी वर्ष प्रशिक्षण में सम्मिलित होगी उनके लिए मूलभूत प्रशिक्षण दिया जाएगा।
5. **प्रशिक्षण हेतु व्यय-** प्रतिशाला राशि रूपये 5000/- का प्रावधान है। इस राशि से निम्नानुसार व्यय किया जा सकेगा। व्यय शालावार निर्धारित लिमिट के अंतर्गत किया जा सकेगा।

5.1 प्रशिक्षक को राशि रूपये 3000/-प्रतिमाह के मान से मानदेय प्रदान किया जाएगा।

5.2 प्रशिक्षक को शाला की समस्त बालिकाओं को प्रशिक्षित करना होगा।

6. प्रत्येक प्रशिक्षण का संपूर्ण डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा। जिसमें प्रशिक्षक का विवरण कब से कब तक प्रशिक्षण संचालित हुआ, बालिकाओं की सूची जिन्होंने प्रशिक्षण लिया, प्रशिक्षण का फोटो, प्रशिक्षण से बालिकाओं में क्या सुधार आया उनके अनुभव आदि का विवरण आवश्यक रूप से दिया जाएगा।
7. प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम- म.प्र कराटे एसोसिएशन से प्राप्त किया जा सकता है। उसी के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी। प्रशिक्षण उपरांत बालिकाओं को सर्टिफिकेट परीक्षा में बैठने हेतु प्रेरित किया जाएगा।
8. नोडल अधिकारी- राज्य स्तर से राष्ट्रीय माध्यिमक शिक्षा अभियान के पत्र दिनांक 25.09.2019 में उल्लेखित श्री राजेन्द्र सिंह तोमर शा.उ.मा.विद्यालय कन्या परिसर छिन्दवाडा को नोडल